संख्याः3/2018/85/35-1-18-6/8(11)/2016

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दीर्घकालीन योजना प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियों के क्रम में पुनरीक्षित प्राविधानित अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-882/दी0यो0प्र0/2017, दिनांक 24.01.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांकः 03 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के अन्तर्गत के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि का प्राविधानित किया गया है। शासनादेश संख्याः 09/2017/386/35-1-17-6/ 8(11)/ 2016, दिनांक 11 मई, 2017 द्वारा लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों के लिए (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 12.50 लाख को घटाते हुए अवशेष रू0 17.50 लाख (रूपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को नीचे अंकित विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष कालम (5) में अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्निलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु कुल स्वीकृत पुनरीक्षित धनराशि	लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम पॉच माह हेतु अवमुक्त धनराशि	लेखानुदान के अन्तगेत स्वीकृत धनराशि के समायोजन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	04-यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
2	08-कार्यालय व्यय	3.00	1.25	1.75
3	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	3.00	1.25	1.75
4	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	1.67	2.33
5	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00	0.42	0.58
6	18-प्रकाशन	5.00	2.08	2.92

7	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	1.25	1.75
8	42-अन्य व्यय	4.00	1.67	2.33
9	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	0.83	1.17
10	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	0.83	1.17
11	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.00	0.42	0.58
	योग-	**30.00**	**12.50**	**17.50**

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग में गठित सेल के निर्वतन पर रखी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि मुख्य रूप से इनोवेशन परियोजनाओं के वित्त पोषण/परियोजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन/सम्मेलन का आयोजन/पुरस्कार वितरण/प्रशासनिक एवं सेल के कार्यालय व्यय/मानदेय/बैठक, यात्रा-भत्ता, निरीक्षण में अनुश्रवण आदि में व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त रूप से स्वीकृत/आहरित उपलब्ध धनराशि को कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा इनोवेशन के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं नियमावाली का भी अनुपालन किया जायेगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-03-इनोवेशन सेल की स्थापना'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव

संख्याः3/2018/85(1)/35-1-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।